न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

खण्डपीठ
श्री सानुज कुलश्रेष्ठ, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

अपील डिक्री टीए संख्या/2311/2005/भरतपुर

1– रामदेई पुत्री देवीराम पत्नी पून्ना मृतक जरिये वारिसान–
1/1 विजेन्द्र सिंह
1/2 समुन्द्रसिंह | पुत्र रामदेई पुत्री देवीराम
1/3 अमरसिंह
1/4 जलसिंह
समस्त जाति फौजदार

2– दरियाव पुत्री देवी राम पत्नी हरिसिंह मृतक जरिये वारिसान–
2/1 विजयसिंह
2/2 फतेहसिंह | पुत्र दरियाव पुत्री देवी देवी
2/3 हुकमसिंह
2/4 जगनसिंह
समस्त जाति फौजदार

3– सोमौती पुत्री देवीराम पत्नी दलीपसिंह जाति फौजदार

4– चमेली पुत्री देवीराम पत्नी ईसरीप्रसाद जाति फौजदार, समस्त निवासी ग्राम नरैना चौथ, हाल निवासी ग्राम नगला बीच, तहसील किरावली, जिला आगार, राज्य उत्तरप्रदेश।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1– किशोर पुत्र हीरालाल मृतक जरिये वारिसान–
1/1 विजयसिंह
1/2 दशरथसिंह पुत्र जाति जाट निवासी ग्राम नरैना चौथ, तहसील डीग, हाल जिला डीग।

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

1. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत, अभिभाषक अपीलांट्स
रेस्पोडेन्ट् बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–निर्णय–

दिनांकः–26–02–2026

1– अपीलांट्स ने यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैंप डीग के निर्णय दिनांक 26–02–2005 जिसके द्वारा अपीलान्ट् की अपील को विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीग के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नरैना चौथ तहसील डीग के नवीन खसरा नम्बर/तादादी 458/0.45, 459/0.43, 460/0.16, 1123/0.31 किता 4 व खसरा नम्बर 627/0.25, 628/0.20, 629/0.20, 630/0.20, 637/0.25, 638/0.28, 741/0.23, 742/0.11, 746/0.08, 747/0.40, 749/0.15, 1015/0.16, 1016/0.11, 1018/0.10, 1019/0.15, 1035/0.21, 1036/0.25, किता 18 वाके ग्राम रूध नरैना तहसील डीग दौराने बन्दोबस्त साबिक आराजी खसरा नम्बर 671/1.9, 672/1.7, 673/1.2, 674/1.7, 680/1.10, 681/1.15, 833/1.9, 822/0.13, 821/0.10, 834/1.5, 835/1.3, 820/0.19, 1120/0.18, 1118/0.14, 1117/0.14, 1114/0.19, 1113/0.16, 1119/1.3, 1121/1.5 भूमि वादीगण के पिता देवीराम के खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड रही है। उक्त आधार पर खातेदारी अधिकारों की मांग किये जाने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स/वादीगण के वाद को रेसज्यूडिकेटा/प्रांग-न्याय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 2 नियम 2 एवं मियाद के बिन्दु पर खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैंप डीग के समक्ष अपील पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विधिक स्थिति/प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलांट्स/वादीगण की अपील को खारिज किया गया है, जिससे व्यथित होकर हस्तगत् द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3- अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा लिखित बहस पेश करते हुए कथन किया गया कि वादीगण/अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी के बाबत् अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीग के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग इस आशय के साथ की गई कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता देवीराम के खातेदारी की आराजी दर्ज रिकार्ड भूमि रही है। वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार देवीराम के स्वर्गवास के पश्चात् उनके कोई पुत्र नहीं होने के कारण अपीलांट्स/देवीराम की पुत्रियाँ व अपीलांट्स की माता/देवीराम की पत्नी प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी हैं। प्रतिवादीगण का

वादग्रस्त आराजी से कोई सरोकार नहीं है। नाही वादीगण के पिता व माता द्वारा कोई वसीयत या बेचान किया गया। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की बिना जानकारी के दिनांक 25-03-1980 को एक फर्जी वसीयतनामे पर देवीराम के हस्ताक्षर करवा लिये गये तथा तत्पश्चात् नामान्तकरण तस्दीक किया गया। जो कालान्तर में जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष अपील पेश किये जाने पर आदेश दिनांक 08-04-1991 के माध्यम से निरस्त किया गया। दौराने कार्यवाही प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 145 सीआरपीसी के तहत पेश करते हुए वादग्रस्त आराजीयात् को कुर्क कर कब्जा वादीगण से प्राप्त किया गया जो दिनांक 06-01-1987 को वादीगण को बिना सूचना दिये प्रतिवादी को कब्जा सुपुर्द किया गया। प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा प्राप्त कर लेने एवं अन्य वादपत्र/अपीलें लंबित रहने के दौरान वादीगण द्वारा एक वाद दिनांक 20-06-1998 को धारा 88, 89 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश करते हुए खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, बेदखली एवं धारा 145 सीआरपीसी कब्जा प्रतिवादी को प्रदान करने पर पुनः कब्जा वादीगण को दिलाये जाने बाबत् पेश किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दावे व जवाबदावे के आधार पर दादरसी सहित सात तनकीयात् कायम की गई। जिन पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या एक वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करने से संबंधित थी। जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकारों को तय ही नहीं किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात् पैतृक भूमि है जिसके खातेदार काश्तकर वादीगण के पिता देवीराम के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि रही है। वादीगण देवीराम की पुत्रियाँ होने के आधार पर देवीराम के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के कारण वे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के मुश्तहक है।

5- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा आगे कथन किया कि तनकी संख्या दो के माध्यम से राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जाने बाबत् थी। प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित नामान्तरकरण को निरस्त किया गया था। प्रतिवादी मृतक देवीराम का वारिस नहीं होने व अप्रमाणित वसीयत के आधार पर प्रतिवादी के खातेदारी को बहाल रखने में विधिक त्रुटि कारित की है।

इसी प्रकार तनकी संख्या 4 के माध्यम से वादपत्र को रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित मानते हुए वादीगण के विरूद्ध तय की गई। जबकि पूर्व वाद में पक्षकारों के खातेदारी हक अधिकार तय नहीं किये गये थे केवल मात्र पक्षकारों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद की गई थी तथा वर्तमान में लंबित वादपत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती, बेदखली एवं धारा 145 के तहत कब्जा प्रतिवादी को प्राप्त करने पर पुनः वादीगण को दिलाये जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया है।

6- इसी क्रम में तनकी संख्या पांच आदेश 2 नियम 2 सीपीसी से वाद बाधित होने बाबत् है। जबकि पूर्व में वादपत्र वादीगण के कब्जेकाश्त में प्रतिवादीगण द्वारा दखल करने पर धारा 188 सीपीसी पेश किया गया था। जिस बाबत् वर्तमान वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वर्तमान वाद धारा 145 के तहत कुर्की कि कार्यवाही में कब्जा प्रतिवादी को प्रदान करने के बाद उत्पन्न वाद कारण के आधार पर पेश किया गया है। इस प्रकार दोनों वादपत्रों में अनुतोष एवं वादकारण भिन्न-भिन्न है। पक्षकारों के मध्य केवल पूर्व में कोई वाद तय करने से रेसज्यूडिकेटा से बाधित नहीं है। इसी प्रकार तनकी संख्या 6 के माध्यम से वादपत्र को मियाद बाहर माना गया था। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची में धारा 88 व 89 पर मियाद की अवधि अभिनिर्धारित नहीं की गई है व धारा 183 में मियाद की अवधि 12 वर्ष अंकित की गई है। जबकि वादीगण द्वारा 12 वर्ष के भीतर वादपत्र पेश किया गया है। इसी प्रकार अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 11-09-2002 के माध्यम से उपरोक्त तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर वादीगण के वादपत्र को खारिज किया गया है। जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा सरसरी तौर पर विधि विरूद्ध तरीके से की गई। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित करने में विधि एवं कानून संबंधी त्रुटि कारित की है। लिहाजा अपीलांट्स/वादीगण की उक्त द्वितीय अपील को स्वीकार किया जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय अपास्त किये जावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में 2019 आरबीजे पेज 134, 2017 आरबीजे पेज 137, 2000 आरबीजे पेज 116, 2004 आरबीजे पेज 329, 2011 आरएलडब्ल्यू रेवेन्यु पेज 686 एवं 826, 1994 आरआरडी पेज 744, 2010 आरबीजे पेज 370, 2001 आरबीजे पेज 526, 1994 आरबीजे पेज 134, 1998 आरबीजे पेज 355 उच्च न्यायालय, 2011 आरआरटी पार्ट II पेज 819, 2020 आरआरटी पार्ट II पेज 998, 2020 आरआरटी पार्ट II पेज 1070, 2017 आरआरटी पार्ट II पेज 1102, 2020 आरबीजे पेज 8, 2003 आरबीजे पेज 544 एवं 597 व 2000 आरबीजे पेज 116 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

7- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य मे अध्ययन किया गया।

8- प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण/अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीग के समक्ष वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नरैना चौथ तहसील डीग के नवीन खसरा नम्बर/तादादी 458/0.45, 459/0.43, 460/0.16, 1123/0.31 किता 4 व खसरा नम्बर

627/0.25, 628/0.20, 629/0.20, 630/0.20, 637/0.25, 638/0.28, 741/0.23, 742/0.11, 746/0.08, 747/0.40, 749/0.15, 1015/0.16, 1016/0.11, 1018/0.10, 1019/0.15, 1035/0.21, 1036/0.25, किता 18 वाके ग्राम रूध नरैना तहसील डीग दौराने बन्दोबस्त साबिक आराजी खसरा नम्बर 671/1.9, 672/1.7, 673/1.2, 674/1.7, 680/1.10, 681/1.15, 833/1.9, 822/0.13, 821/0.10, 834/1.5, 835/1.3, 820/0.19, 1120/0.18, 1118/0.14, 1117/0.14, 1114/0.19, 1113/0.16,1119/1.3, 1121/1.5 भूमि के बाबत् वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग इस आधार पर की गई थी कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता देवीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड भूमि रही है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र, जवाबदावा व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर दादरसी सहित कुल सात तनकीयात् कायम की गई-

1- आया वादीगण विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।
2- आया प्रतिवादी का नाम राजस्व अभिलेख के कलमजन किये जाने योग्य है।
3- आया वादीगण को प्रतिवादी से मौके पर कब्जा दिलाया जाना उचित है।
4- आया दावा वादीगण रेसज्यूडिकेटा से बाधित है।
5- आया दावा वादीगण आदेश 2 नियम 2 सीपीसी से बाधित है।
6- आया दावा वादीगण अन्दर मियाद न होने के कारण मेन्टेनेबल नहीं है।
7- दादरसी।

वादपत्र के अभिनिर्धारण हेतु उक्त तनकीयात् में से तनकी संख्या 4, 5 व 6 मुख्य बिन्दु रहे। तनकी संख्या 4 जो रेसज्यूडिकेटा/पूर्व न्याय/प्रांग न्याय से संबंधित है व तनकी संख्या 5 जो आदेश 2 नियम 2 सीपीसी व तनकी संख्या 6 मियाद से संबंधित थी। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 11-09-2002 के माध्यम से उपरोक्त तनकीयात् को वादीगण के विरूद्ध तय करते हुए वादपत्र को पूर्व-न्याय/प्रांग न्याय के सिद्धान्त से बाधित मानते हुए खारिज किया गया कि पूर्व में भी समान आराजी बाबत् पक्षकारों के मध्य स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र संख्या 702/86 व वादपत्र संख्या 700/86 का निस्तारण किया जा चुका है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा की गई। उपरोक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती मत व्यक्त किये जाने से व्यथित होकर वादीगण/अपीलांट्स द्वारा द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

9- प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा समवर्ती मत व्यक्त किये गये हैं। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णयों में रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त के आधार पर हस्तगत प्रकरण के मूल वाद का बाधित होना, पूर्ववर्ती वाद में केवल स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहने के परिणामस्वरूप इसी आराजीयात् के संबंध में घोषणा इत्यादि का अनुतोष बाबत् हस्तगत प्रकरण का मूल वाद प्रस्तुत करने के आधार पर वाद वादी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 2 नियम 2 बाधित होने के परिणामस्वरूप पोषणीय नहीं माना गया और तीसरा निर्धारित समयावधि 12 वर्ष के उपरान्त वादपत्र प्रस्तुत करने किये जाने के आधार पर वाद वादी मियाद बाहर माना गया। स्वीकृत रूप से उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रारम्भिक विवेचना के बिन्दु है, जिनका विवेचन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से किया गया है लेकिन इस विवेचन को करते समय सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर निकाला हुआ निष्कर्ष प्रश्नगत होता है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 घोषणा के वाद के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं है केवल अतिक्रमी को बेदखली के लिए किये गये वाद की मियाद की अवधि 12 वर्ष बताई गई है। जैसा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की तृतीय अनुसूची में वर्णित है। स्पष्ट रूप से दावे के अभिवचनों को पढ़ा जाये तो हस्तगत प्रकरण का मूल वाद मुख्य रूप से घोषणा के अनुतोष के लिए प्रस्तुत किया गया है। व्यादेश व बेदखली घोषणा के अनुशांगिक अनुतोष थे। इस तथ्य का संज्ञान मियाद बिन्दु के निर्धारण के समय दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नहीं लिया गया।

10- उपरोक्त विवेचन के अधीन/इससे प्रभावित हुये बिना विचारण न्यायालय के निर्णय को देखा जाये तो उनके द्वारा 7 विचारणीय बिन्दु बनाये थे। लेकिन बिन्दु संख्या 4, 5 व 6 उपरोक्त वर्णित आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय तथ्य है कि इन तीनों बिन्दुओं का बनाया जाना, और इनका निर्धारण किया जाना आवश्यक तो है लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 14 नियम 2 सीपीसी सपठित आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के तहत सभी विचारणीय बिन्दुओं पर निष्कर्षण किया जाकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, जोकि प्रक्रियागत न्याय की प्रतिष्ठा एवं पालना हेतु उपर्युक्त होता। इसी श्रेणी का दायित्व आदेश 41 सीपीसी के तहत विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय पर भी अधिरोपित था। जिसका निर्वाहन उनके द्वारा नहीं किया गया। इस संबंध में न्यायालय के उक्त मत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय सत्यनाथा व अन्य बनाम सरोजमणी 2022 Live Law (एससी) 458 ने अपने मद संख्या 33 निम्नानुसार पथ प्रदर्शन करता हैः-

"33. Keeping in view the object of substitution of sub-Rule (2) to avoid the possibility of remanding back the matter after the decision on the preliminary issues, it is mandated for the trial court under order XIV Rule 2 and order xx Rule 5, and for the first appellate court in terms of order XLI Rule 24 and 25 to record finding on all the issues."

यह स्पष्ट करता है कि तनकीवार निर्णय नहीं देने के फलस्वरूप दिया जाने वाला निर्णय न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता।

11- अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के क्रमशः निर्णय दिनांक 11-09-2002 व 26-02-2005 प्रक्रियागत न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के आधार पर विधिसम्मत नहीं माने जा सकते। अतः निरस्त किये जाने योग्य है। तदानुसार आदेशित हो।

-आदेश-

उपरोक्त समग्र विवेचन पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड के अनुशीलन तथा सुप्रतिपादित न्याय निर्णयों से प्राप्त न्यायिक आलोक के अनुसरण में हस्तगत द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। तदानुसार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः निर्णय दिनांक 11-09-2002 व 26-02-2005 अपास्त किये जाते हैं। परिणामतः यह आदेश दिया जाता है विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीग इस निर्णय में वर्णित बिन्दुओं को विवेचनाधीन करते हुए मूल विचारण पत्रावली के अभिलेख, साक्ष्य (मौखिक एवं दस्तावेजी) के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। सुनवाई से पूर्व दोनों पक्षों को व्यक्तिशः एवं जरिये अधिवक्तागण सूचित किया जावे। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय से अपेक्षा है कि इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में हस्तगत प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण करेगा। आदेश की प्रति अभिलेख के साथ प्रेषित की जावे। चूंकि यह आदेश रेस्पोडेन्ट्स की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित किया गया है; अतः इस निर्णय के आदेश भाग को भरतपुर संभाग में प्रचलित राज्य स्तरीय अखबार में प्रकाशित कर आम सूचना जारी करने का निर्देश अपीलार्थीगण को जरिये अधिवक्ता दिया जाता है। इस अखबार साया के आदेश की पालना अपीलार्थीगण/अधिवक्ता अपीलार्थीगण विद्वान अधीनस्थ विचारण में उपस्थित होने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(सानुज कुलश्रेष्ठ)
सदस्य